न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–06/2020

1. गुरदेवसिंह पुत्र बालिया उर्फ बलीसिंह
2. वीरसिंह पुत्र बालिया उर्फ बलीसिंह
   अकवाम बावरी सकनाऐं 18 एस जे एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
3. दलीपसिंह पुत्र बालिया उर्फ बलीसिंह
4. चांदीसिंह उर्फ चन्दासिंह पुत्र बालिया उर्फ बलीसिंह
5. नानकसिंह पुत्र बालिया उर्फ बलीसिंह
   अकवाम बावरी सकनाऐं चक 9 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

-- **प्रार्थीगण**

बनाम्

जसवीरसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी 16 एस जे एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

--- **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज.काश्त.अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांकः–12.07.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा जरिए वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट. के तहत रास्ता खेत स्वीकृत करने हेतु पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं मंगलसिंह पुत्र बालिया उर्फ बलीसिंह के नाम से चक 19 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–29 पत्थर सं. –295/382 में आवेदक गुरदेवसिंह के नाम से किला नम्बर 1/2 में0.169, 2 का 0.253, 3/1 का 0.169 हैक्टर कुल 0.591 हैक्टर, आवेदक वीरसिंह के नाम से किला नम्बर 6, 7 प्रत्येक सालम, 8/2 का 0.084 हैक्टर कुल 0.590 हैक्टर, आवेदक चन्दसिंह के नाम से किला नम्बर3/2 का 0.084, 4,5 प्रत्येक सालम कुल 0.590 हैक्टर आवेदक नानक राम के नाम से किला नं.–1/1 का 0.084, 9,10 प्रत्येक सालम कुल 0.590 हैक्टर व मंगलसिंह के नाम से किला नं.–13/2 का 0.84, 14, 15 प्रत्येक सालम कुल 0.590 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदियों की प्रमाणित प्रति संलग्न है। अनावेदक के धारण में चक 19 एस जे एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. –29 पत्थर नं.–295/382 का किला नम्बर 11,16ता25 की कुल 2.783 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है जो अनावेदक के अधिकार, अधिपत्य व कब्जा काश्त में है जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। चक [illegible] मुरब्बा नं. –29 पत्थर सं.–295/382 में अनावेदक के अधिकार व अ[illegible] कृषि भूमि की उक्त कुल 3.160 के किला नम्बर 11,20,21 प्रत्येक [illegible] करवाना चाहते है। जिसे स्वीकृत किया जावे जो [illegible] भूमि के किला नं.–10 में पहुॅचता है चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से अनावेदक अप[illegible] खातेदारी कृषि भूमि में आ जा सकेंगे तथा जो रास्ता चिपते काश्तकार जसवंतसिंह व बंतासिंह की कृषि भूमि के साथ साथ चल रहे आम रास्ता से होकर आगे खोखरावाली गांव में जाने वाले रास्ता आम से जुड़ जायेगा जिससे आवेदकगण अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेंगे। उक्त रास्ता ही पूर्व में पिछले करीब 30–35 वर्षों से चालू है लेकिन अनावेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.08.01 18:13:17 IST
Reason: SelfAttested

उक्त चल रहे रास्ता से अनावेदकगण का आवागमन बाधित करने के प्रयासरत है। आवेकदगण की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए वर्तमान में कोई मार्ग नही है आवेदकगण द्वारा चाहा गया मार्ग न्यूनतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है जिसकी आवेदकगण को अत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिए आवेदकगण नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदाय करने को तैयार है। आवेदकगण ने अपनी उक्त कृषि भूमि के लिए उक्त अनावेदक जसवीरसिंह से अरसा पांच दिन पूर्व नया मार्ग बनाने/स्वीकृत करवाने के लिए आग्रह किया तो वह स्पष्ट इंकार हो गया और स्पष्ट रूप से धमकी दी की वह आवेकदगण को उनकी कृषि भूमि आवागमन के लिए अपनी भूमि के किला नम्बर–11,20,21 में से कोई रास्ता नही देगा बल्कि जो रास्ता चल रहा है उसे शीघ्र ही बंद कर देगा। इसलिए आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की कृषि भूमि चक 19 एस जे एम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–29 पत्थर नं.–295/382 में आवागमन के लिए अनावेदक जसवीरसिंह के धारणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की चक 19 एसजेएम तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–29 पत्थर नं.–295/382 के किला नम्बर 11,20,21 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री हरेन्द्र सिंह सैंखों ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित कृषि भूमि मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज होनी स्वीकार है। परन्तु इस कृषि भूमि बाबत नत्थासिंह पुत्र बूटासिंह जो कि पूर्व में इस रकबा में मुझ अनावेदक के साथ मुस्तरका खाता में सहकाश्तकार द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर में अपील संख्या–3809/2017 अनवानी नत्थासिंह बनाम् दीदारसिंह दायर की गई है व माननीय राजस्व मंडल द्वारा इस कृषि भूमि पर मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश पारित किया गया है। अनावेदकगण गुरदेवसिंह वगैरह के पास मुरब्बा नं.–295/382 के किल नं.–1ता10 व 12ता15 की कृषि भूमि है मुरब्बा नं. –295/382 के साथ चिपते हुए उत्तर दिशा में मुरब्बा नं.–295/381 है। जो कि जगदेवसिंह सुखविन्द्रसिंह पिसरान गेजासिंह जाति जटसिख निवासी 19 एसजेएम के नाम दर्ज है। आवेदकगण के किला नं.–5 के साथ जगदेवसिंह वगैरह के मुरब्बा नं. –295/381 का किला नं.–5 के साथ जगदेवसिंह वगैरह के मुरब्बा नं.–295/381 का किला नं.–25 चिपता हुआ है जगदेवसिंह वगैरह ने किला नं.–25 में ढाणी बना रखी है। जिस हेतु उन्होंने अपने मुरब्बा के किला नं.–5,6,15,16,25 में पत्थर लाईन के साथ–साथ रास्ता छोड़ा हुआ है जो कि खोखरावाली रोड़ पर जाकर खुलता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। अनावेदकगण का उक्त रास्ता सुगम व छोटा है। अनावेदकगण अरसा पूर्व से इसी रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है। मेरे किला नं.–11,20,21 में कभी कोई रास्ता चालू नहीं रहा है ना ही वर्तमान में [illegible] रास्ता [illegible] मुरब्बा नं.–295/381 के किला नं.–1,10,11,20 व 21 के साथ सरकारी खाला [illegible] खाला के साथ रास्ता दिया जाना न्यायोचित [illegible] 295/381 में चालू रास्ता के मध्यनजर अगर किला नं.–11,20 व 21 में रास्ता मंजूर किया जाता है तो इससे कृषि भूमि अनावश्यक तौर पर गैरमुमकिन हो जायेगी, जिससे उत्पादन व भूकर की अनावश्यक हानि होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.08.01 18:13:17 IST
Reason: SelfAttested

भू. अभिलेख निरीक्षक सलेमपुरा की ओर से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृति हेतु चाहा गया प्रस्ताव/रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। मुताबिक भू. अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट आवेदकगण के द्वारा अनावेदक की कृषि भूमि मुरब्बा नं.–29 पत्थर नं.

–295/382 के किला न.–11,20,21 में से 1–1 बिस्वा रास्ता चाहा गया है जो कि चालू नही है। अन्य वैकल्पिक रास्ता आवेदकगण की अराजी हेतु नहीं है। आवेदकगण की अराजी हेतु प्रस्तावित रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए नही होकर आत्यतिक आवश्यकता हेतु चाहा गया है। प्रस्तावित मार्ग पत्थर नं.–295/382 किला न–11,20,21 का एक–एक बिस्वा पश्चिम दिशा पत्थर नं.–296/382 के किला न.–15,16,25 में निर्मित खाला के साथ–साथ दिया जाना प्रस्तावित है। यही लघुतम मार्ग एवं रूट है। अन्य कोई लघुतम मार्ग रूट प्रस्तावित नहीं है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। भू. अभिलेख निरीक्षक सलेमपुरा द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी व नक्शा पेश किया गया। भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रास्ता स्वीकृति हेतु जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के लिए रास्ता प्रस्ताव सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर आवश्यक है। प्रस्तावित रूट के अतिरिक्त अन्य रास्ता लघुत्तम नहीं है।

अंततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है एवं उक्त बाबत् रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण, लघुत्तम होने के कारण एवं केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं होने के कारण स्वीकृत किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को अन्य काश्तकार की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 "क" राज. काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 19 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–29 पत्थर नं.–295/382 में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्कता को परमावश्यक मानते हुए एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हो जाने के आधार पर अनावेदक जसवीरसिंह के धारणाधिकार में चक 19 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–29 पत्थर सं.–295/382 के किला नं.–11,20,21 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थी को भुगतान करने हेतु राज.काश्त.(सरकारी) नियम,1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि तहसील कार्यालय, [illegible] में जमा करवाने के आदेश प्रार्थीगण को दिये जाते है एवं उक्त [illegible] तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरा[illegible] करे एवं अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान उनके रास्ता में आयी भूमि के मुताबिक [illegible]या सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.08.01 18:13:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **12.07.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Priyanka
(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़